बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–13110/2014 श्री अरविन्द कुमार वर्मा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.11.2014 को निलंबन आदेश दिनांक 15.07.2014 को रद्द कर दिया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2014 का पूर्णतः अनुपालन नहीं करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा माननीय न्यायालय में अवमाननावाद एम0जे0सी0 संख्या–4922/2014 दायर किया गया। उक्त अवमाननावाद की समीक्षा के बाद पुनः ज्ञापांक संख्या 2420 दिनांक 13.04.2016 द्वारा आदेश संख्या–4336 दिनांक 15.07.2014 को वापस लेते हुए पूर्व में पारित सभी आदेश को विलोपित करते हुए माननीय न्यायालय में दिनांक 20.04.2016 को कारण पृच्छा दायर किया गया।

माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा दिनांक 14.11.2014 एवं 20.04.2016 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी सीवान सदर को श्री अरविन्द कुमार वर्मा तत्कालीन प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, गुठनी को निलंबन अवधि के बकाये वेतन का भुगतान तीन दिन के अंदर करने का आदेश दिया जाता है।

ह0/–

(डॉ0 दीपक प्रसाद)

प्रधान सचिव

ज्ञापांकः 2592 / पटना/दिनांकः 26 अप्रैल 2016

प्रतिलिपिः जिला पदाधिकारी सीवान/अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान सदर/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीवान/श्री अरविन्द कुमार वर्मा, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अहमदाबाद, जिला कटीहार एवं आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव